

नेशनल लोक अदालत दिनांक : 09/09/2017।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार।

आरोपीगण मोहर सिंह, गंधर्व सिंह, भूरे सिंह एवं शिव सिंह सहित श्री आर.सी.यादव अधि।

फरियादी/आवेदक रामकली सहित श्री योगेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में राजीनामा प्रस्तुति हेतु नियत है।

फरियादी/आवेदक रामकली पत्नी ग्यादीन जाटव, निवासी :- ग्राम रसनोल, परगना-गोहद, जिला-भिण्ड ने उसके अधिवक्ता श्री योगेन्द्र श्रीवास्तव के साथ उपस्थित होकर अभियुक्तगण पर लगे धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अभियोग के शमन अनुमति संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 "02" द.प्र. स. प्रस्तुत किया।

फरियादी/आहत रामकली अभियोजित अपराध की धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार है। उसकी पहचान श्री योगेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता द्वारा की है। आहत की पहचान उसके चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन से भी हो रही है।

फरियादी को सुना गया। फरियादी द्वारा स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्तगण और उनके संबंध मधुर हो चुके हैं और उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है। उभयपक्ष की ओर से फरियादी/आवेदक तथा आरोपीगण द्वारा हस्ताक्षरित एवं आहत के रंगीन छायाचित्र सहित राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई पूर्व दोष सिद्ध अभियोजित नहीं है। आवेदन अस्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी प्रकरण में परिलक्षित नहीं है। अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकारते हुए अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोजित की धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध का शमन स्वीकार किया जाता है। तदनुसार अभियुक्तगण को भा.द.सं. की धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग।। के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोजन से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र
भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।
प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में लेखबद्ध कर
प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाए।

01. राजीव कांकर अधिवक्ता (सदस्य) (पंकज शर्मा)
02. रविरमन बाजपेई अधिवक्ता (सदस्य) पीठासीन अधिकारी लोक अदालत
जिला भिण्ड